फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

अप्रार्थीगण

नारायण वगैरह

नाथ बनाम

मुकदमा नं. 01 / 2021

: राजस्व प्रार्थना पत्र

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
2021	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बावत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में एक पक्षीय बहस का निवेदन किया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 का सहखातेदारी का खेत खसरा नं. 60 रकबा 17.16 बीघा पुश्तैनी बढेर की भूमि है। जिसका मौखिक बंटवारा पक्षकारान ने कर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हो गये। लेकिन भौतिक विभाजन नहीं कराया। पूर्व में अप्रार्थी ने खसरा नं. 60 की भूमि में से अपने हिस्से की 2 बीघा भूमि बैचान अन्य पक्ष को कर राशि प्राप्त कर ली थी तथा अब अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 मिलकर प्रार्थी के हिस्से की अविभक्त भूमि को बैचान करने पर आमादा है। यदि उक्त अविभक्त भूमि के बैचान, हस्तान्तकरण के कारण राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति में परिवतन होता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। मौखिक विभाजन के अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज है जिससे सुविधा का सतुलन का विन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे कि ग्राम जुजांला तहसील जायल के खसरा नं. 60 व 235/60 में से प्रार्थी के हिस्से की पृथक खातेदारी न हो तब तक मुतदाविया खेताय की भूमि का बैचान, हस्तान्तरण, दानपत्र इत्यादि नहीं करे। प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रिकॉर्ड से मामला पृथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी पक्ष को होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वे मौजा जुंजाला तहसील जायल के खसरा नं. 60 व 235/60 का बैचान, हस्तान्तरण तथा दानपत्र इत्यादि आगामी तारीख पेशी तक नहीं करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 03/02/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
03/3/21	वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रा.पत्र पेश हुआ नकल वकील प्रार्थी को दिलाई गई। अप्रार्थी सं. 3 व 4 व 5 तामील हुआ प्राप्त हुये। प्रा.नि. रहे। मिसल वास्ते बहस प्रा.पत्र 212 RTAct हेतु दिनांक 10/3/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की ...
10/03/21	पत्रावली पेश हुई। वकील ... उप.। मिशल गत तालिका दिनांक 03.02.21 की पालना में दिनांक 07.04.21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल पक्षकार/पक्षकारान	
07/04/21	पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 03.05.21 को प्रस्तुत करें। पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता	
03/05/21	पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 03.06.21 को प्रस्तुत करें। पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता	
5.6.21	कोविड/लॉकडाउन पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 6.7.21 को प्रस्तुत करें।	
06/07/2021	पत्रावली पेश हुई प्रकरण हाजा के संबंधित मूल वाद जरिये डिक्री खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र के आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र हाजा ओचित्यपूर्ण नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल अपील नम्बर से कम होकर मूल वाद 2/6 शामिल नत्थी हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	